19-1-22 अपीलार्थी द्वारा अपील विड्रो किये जाने का प्रा. पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली सिगह से तलब की गयी। अपीलार्थी ने प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहती हैं प्रकरण कार्यवाही ड्रोप की जावे। इस बाबत प्रार्थी/अपीलार्थी प्रेमदेवी ने हस्ताक्षर किये जिनकी तस्दीक अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा की गयी। विपक्षी नं. 8 व 9 ने भी उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये जिनकी तस्दीक अधिवक्ता द्वारा की गयी।

अपीलार्थी स्वयं के प्रा. पत्र प्रस्तुत कर हस्ताक्षर किये जाने से प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं पत्रावली नंबर से कम करें।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रेमा
(अपीलार्थी)
9 adv
एडवोकेट
वास्ते-अ
19-1-
प्रतिभाट
रुडेन
(रिस्पोंडेन्ट
Adv
(राजेश सार्